अपील/डिकी/टीए/1904/2006/भरतपुर
रम्मल वगैरह बनाम बृजमोहन वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
14-11-2022	**खण्ड–पीठ** **श्री अविनाश चौधरी, सदस्य** **श्री सत्तार खां, सदस्य** **आदेश** प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता अनुपस्थित। अपीलाण्ट के अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में दिनांक 9–8–2016 को निर्णय पारित किया जा चुका है। निर्णय पारित किये जाने के पश्चात् दिनांक 16–9–2016 को रेस्पोडेण्ट ने जरिये अधिवक्ता श्री खड़ग सिंह एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया कि उक्त अपील के निर्णय दिनांक 9–8–2016 के पैरा संख्या 8 में खसरा नम्बरान का जो वर्णन दिया गया है, उसमें एक नंबर 3904 के स्थान पर 3900 दर्ज कर दिया है, जबकि वाद में 3904 नम्बर ही दर्ज है व अपील न्यायालय की डिकी में भी 3904 रकबा 0.28 हैक्टेयर ही दर्ज रहा है। निर्णय में 3904 के स्थान पर खसरा नंबर 3900 सहवन से दर्ज हो जाने के कारण तहसीलदार उक्त खसरा नंबर की खातेदारी रेस्पोडेण्ट प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं कर रहे है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 9–8–2016 के पैरा संख्या 8 में वर्णित खसरा नंबरान 3900 के स्थान पर 3904 दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाये। सुना गया। निर्णय का अवलोकन किया गया, अपील मैमो का अवलोकन किया गया एवं योग्य प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया। समस्त अभिलेखों के अवलोकन से प्रकट होता है कि निर्णय दिनांक 9–8–2016 के पैरा संख्या 8 में सहवन से खसरा नंबर 3904 के स्थान पर खसरा नंबर 3900 अंकित हुआ है। अतः आदेश दिया जाता है कि इस प्रकरण के निर्णय दिनांक 9–8–2016 के पैरा संख्या 8 की पंचम पंक्ति में खसरा संख्या 3900 के स्थान पर 3904 दुरूस्त किया जाये। उक्त दुरूस्ती लाल स्याही से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	की जाये। प्रार्थना पत्र उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। यह आदेश निर्णय दिनांक 9–8–2016 का अभिन्न अंग रहेगा। आदेश सुनाया गया। **(सत्तार खां)** **सदस्य** **(अविनाश चौधरी)** **सदस्य**	